अध्याय-V

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम

अध्याय - V
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम

यह अध्याय सरकारी कंपनियों, सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियों एवं सांविधिक निगमों के वित्तीय प्रदर्शन पर चर्चा करता है। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की वर्ष 2022-23 हेतु (या गत वर्ष की, जिन्हें चालू वर्ष के दौरान अंतिम रूप दिया गया) वित्तीय विवरणियों की भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की गई अनुपूरक लेखापरीक्षा के परिणामों के रूप में जारी महत्वपूर्ण टिप्पणियों के प्रभाव पर भी चर्चा की गई है।

5.1 सरकारी कंपनियों की परिभाषा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) में सरकारी कंपनी को एक ऐसी कंपनी के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें केंद्र सरकार द्वारा अथवा राज्य सरकार या सरकारों द्वारा अथवा केंद्र सरकार एवं एक या एक से अधिक राज्य सरकारों द्वारा आंशिक रूप से कम से कम 51 प्रतिशत प्रदत्त पूंजी का अंश निवेशित हो तथा इसमें ऐसी कंपनी भी शामिल है जो किसी सरकारी कंपनी की सहायक कंपनी है।

इसके अतिरिक्त इस प्रतिवेदन में केंद्र सरकार द्वारा अथवा राज्य सरकार या सरकारों द्वारा अथवा केंद्र सरकार एवं एक या एक से अधिक राज्य सरकारों द्वारा आंशिक रूप से नियंत्रित अथवा स्वामित्व वाली किसी अन्य कंपनी[1] को सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियों के रूप में संदर्भित किया गया है।

5.2 लेखापरीक्षा का अधिदेश

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा सरकारी कंपनियों एवं सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) से 143(7) के प्रावधानों एवं उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के तहत की जाती है। कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक सनदी लेखाकारों (चार्टर्ड एकाउंटेंट्स) को कंपनियों के सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त करता है एवं लेखाओं की लेखापरीक्षा करने के तरीके के संदर्भ में दिशा-निर्देश देता है। इसके अतिरिक्त भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को वित्तीय विवरणियों की अनूपूरक लेखापरीक्षा संचालित करवाने

[1] कॉरपोरेट मामले मंत्रालय की राजपत्र अधिसूचना दिनांक 4 सितंबर 2014 द्वारा जारी कंपनी (कठिनाई का निराकरण) सातवां आदेश, 2014

का अधिकार है। कुछ सांविधिक निगमों को शासित करने के विधानानुसार उनके लेखाओं की लेखापरीक्षा केवल भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा ही की जानी अपेक्षित है।

5.3 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद में उनका योगदान

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में राज्य सरकार की कंपनियां एवं सांविधिक निगम सम्मिलित हैं। जनता के कल्याण को ध्यान में रखते हुए व्यवसायिक प्रकृति की गतिविधियां चलाने के लिए राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम स्थापित किए गए हैं, जो राज्य की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। 31 मार्च 2023 तक भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार में हिमाचल प्रदेश के 30 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम थे। इनमें 26 सरकारी कंपनियां (दो[2] सांविधिक निगमों सहित) एवं सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य चार[3] कंपनियां थीं।

राज्य की उपर्युक्त सरकारी एवं सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कम्पनियों में से राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के तीन निष्क्रिय[4] उद्यम (परिसमापनाधीन एक सहित) हैं। राज्य के इन निष्क्रिय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में ₹ 79.79 करोड़ निवेशित है (पूंजीगत ₹ 19.64 करोड़ - राज्य सरकार: ₹ 17.75 करोड़ व अन्य: ₹ 1.89 करोड़; राज्य सरकार के ऋण: ₹ 60.15 करोड़)। यह एक चिंताजनक स्थिति है तथा सरकार को यथाशीघ्र निष्क्रिय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के परिसमापन का निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि ये निवेश राज्य के आर्थिक विकास में कोई योगदान नहीं करते।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के टर्नओवर का अनुपात राज्य की अर्थव्यवस्था में इन उद्यमों की गतिविधियों के प्रसार को दर्शाता है। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उद्यमों के टर्नओवर के विवरण **परिशिष्ट 5.2** में दिए गए हैं। 31 मार्च 2023 को समाप्त तीन वर्ष की अवधि में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उद्यमों का टर्नओवर एवं हिमाचल प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का विवरण नीचे **तालिका 5.1** में दिया गया है।

---

2 हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम व हिमाचल पथ परिवहन निगम।

3 धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड, हिमाचल कंसल्टेंसी ऑर्गनाइजेशन लिमिटेड, शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड व हिमाचल वर्स्टेड मिल्स लिमिटेड (परिसमापनाधीन)।

4 निष्क्रिय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम वे हैं जिन्होंने अपना परिचालन बंद कर दिया है। - एग्रो इंडस्ट्रियल पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड व हिमाचल प्रदेश बेवरेजेज लिमिटेड सार्वजनिक क्षेत्र के दो निष्क्रिय उद्यम हैं एवं हिमाचल प्रदेश वर्स्टेड मिल्स लिमिटेड (सरकार के नियंत्रणाधीन एक अन्य कंपनी) परिसमापनाधीन है।

तालिका 5.1: सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उद्यमों के टर्नओवर का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2020-21	2021-22	2022-23
टर्नओवर			
राज्य के विद्युत क्षेत्र के उद्यम	6,758.43	6,732.16	7,335.16
राज्य के सेवा क्षेत्र के उद्यम	2,805.45	2,427.27	2,792.64
राज्य के अन्य क्षेत्र के उद्यम	495.51	473.46	529.30
योग	**10,059.39**	**9,632.89**	**10,657.10**
हिमाचल प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद	1,55,251	1,76,269	1,95,404
हिमाचल प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद से राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उद्यमों के टर्नओवर का प्रतिशत			
राज्य के विद्युत क्षेत्र के उद्यम	4.35	3.82	3.75
राज्य के सेवा क्षेत्र के उद्यम	1.81	1.38	1.43
राज्य के अन्य क्षेत्र के उद्यम	0.32	0.27	0.27
योग	**6.48**	**5.47**	**5.45**

स्त्रोत: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार उनके टर्नओवर आंकड़ों व हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा आपूरित चालू व स्थिर मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आंकड़ों के आधार पर संकलित।

वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के योगदान में घटती प्रवृत्ति रही। वर्ष 2020-21 में यह 6.48 प्रतिशत, वर्ष 2021-22 में 5.47 प्रतिशत एवं वर्ष 2022-23 में मामूली रूप से घट कर 5.45 प्रतिशत पर स्थिर रहा। वर्ष 2022-23 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में राज्य के विद्युत क्षेत्र के उद्यमों का योगदान 3.75 प्रतिशत था जबकि राज्य के सेवा क्षेत्र के उद्यमों ने 1.43 प्रतिशत का योगदान किया।

यद्यपि राज्य के अन्य क्षेत्र के उद्यमों का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में योगदान कम था (0.27 प्रतिशत से 0.32 प्रतिशत तक) परन्तु उनके पास 1,794 कर्मचारी (स्थायी/ प्रतिनियुक्ति/अनुबंध आधार पर) थे। 31 मार्च 2023 तक राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र इन अन्य क्षेत्र के उद्यमों में राज्य सरकार का निवेश ₹ 350.83 करोड़ (इक्विटी: ₹ 276.21 करोड़ व दीर्घकालिक ऋण: ₹ 74.62 करोड़) था। इसके अतिरिक्त वर्ष 2020-23 की अवधि के दौरान इनमें से राज्य के तीन[5] सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को हिमाचल प्रदेश सरकार ने ₹ 118.74 करोड़ का अनुदान व सब्सिडी दी।

[5] धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड: ₹ 5.00 करोड़, हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड: ₹ 110.00 करोड़ व शिमला स्मार्ट सिटी लिमिटेड: ₹ 3.74 करोड़।

5.4 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में निवेश एवं बजटीय सहायता

5.4.1 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में इक्विटी पूंजी एवं ऋण

31 मार्च 2023 तक राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 27 कार्यशील उद्यमों में कुल इक्विटी, राज्य सरकार द्वारा किया गया इक्विटी योगदान एवं राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण सहित दीर्घकालिक ऋण का क्षेत्र-वार विवरण नीचे **तालिका 5.2** में दिया गया है।

तालिका 5.2: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में क्षेत्र-वार निवेश

क्षेत्र का नाम	निवेश[6] (₹ करोड़ में)					कुल से कुल इक्विटी व दीर्घकालिक ऋणों का प्रतिशत
	कुल इक्विटी	राज्य सरकार की इक्विटी	कुल दीर्घकालिक ऋण	राज्य सरकार के ऋण	कुल इक्विटी व दीर्घकालिक ऋण	
राज्य के विद्युत क्षेत्र के उद्यम	4,073.35	2,346.72	12,524.64	7,648.65	16,597.99	90
राज्य के सेवा क्षेत्र के उद्यम	1,275.20	1,259.00	161.29	0.00	1,436.49	8
राज्य के अन्य क्षेत्र के उद्यम	292.56	276.21	159.53	74.62	452.09	2
योग	**5,641.11**	**3,881.93**	**12,845.46**	**7,723.27**	**18,486.57**	**100**

स्रोत: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विद्युत क्षेत्र पर सबसे ज्यादा निवेश किया गया। 31 मार्च 2023 तक इसे ₹ 18,486.57 करोड़ के कुल निवेश का 90 प्रतिशत (₹ 16,597.99 करोड़) प्राप्त हुआ। इस ₹ 18,486.57 करोड़ के कुल निवेश में 62.78 प्रतिशत (₹ 11,605.20 करोड़) राज्य सरकार का अंश था **(परिशिष्ट 5.1)**।

5.4.2 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में इक्विटी निवेश का बाजार पूंजीकरण

बाजार पूंजीकरण सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों का बाजार मूल्य प्रस्तुत करता है। 31 मार्च 2023 तक राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के मात्र एक उद्यम (हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड) के शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध[7] थे। सार्वजनिक क्षेत्र के इस उद्यम में ₹ 7.16 करोड़ का कुल इक्विटी निवेश है।

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड एक अन्य सूचीबद्ध सरकारी कंपनी है जिसके ऋण बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं।

---

6 निवेश में इक्विटी व दीर्घकालिक ऋण शामिल हैं।

7 कंपनी के शेयर अब सूची से हटा दिए गए हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने कंपनी को सूचित किया (1 फरवरी 2022) कि उसका नाम प्रसार बोर्ड से हटा दिया गया है। तदनुसार हिमाचल प्रदेश सरकार ने अधिसूचित किया (13 अप्रैल 2023) कि सूची से हटाए गए शेयर प्रधान सचिव (उद्योग) के नाम पर जारी किए गए हैं। - स्रोत: वर्ष 2022-23 हेतु कंपनी के लेखापरीक्षित वार्षिक लेखे।

5.4.3 विनिवेश, पुनर्गठन एवं निजीकरण

वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील एवं निष्क्रिय उद्यमों के विनिवेश/पुनर्गठन एवं निजीकरण का कोई मामला नहीं था।

5.5 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से प्रतिफल

5.5.1 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा अर्जित लाभ

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 27 कार्यशील उद्यमों की नवीनतम अंतिम वित्तीय विवरणियों के अनुसार उनमें से लाभ अर्जित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संख्या वर्ष 2021-22 के 10 की तुलना में वर्ष 2022-23 में 13 हो गई। हालांकि अर्जित लाभ वर्ष 2021-22 के ₹ 21.47 करोड़ से मामूली रूप से घटकर वर्ष 2022-23 में ₹ 20.21 करोड़ रह गया।

सर्वाधिक लाभ में देने वाले राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के शीर्ष तीन उद्यमों का सारांश **तालिका 5.3** में दिया गया है।

तालिका 5.3: सर्वाधिक लाभ में देने वाले राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के शीर्ष तीन उद्यम

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के नाम	निवल लाभ (₹ करोड़ में)	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के कुल लाभ का प्रतिशत
हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	7.68	38.00
हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड	3.44	17.02
हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड	2.89	14.30
योग	**14.01**	**69.32**

स्रोत: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की नवीनतम वित्तीय विवरणी।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का निवल लाभ अनुपात[8] नीचे **तालिका 5.4** में दर्शाया गया है:

तालिका 5.4: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (निष्क्रिय उद्यमों सहित) का निवल लाभ अनुपात[9]

क्षेत्र	निवल लाभ	टर्नओवर	निवल लाभ अनुपात (प्रतिशत में)
राज्य के विद्युत क्षेत्र के उद्यम	(-) 461.52	7,335.16	-
राज्य के सेवा क्षेत्र के उद्यम	(-) 132.30	2,792.64	-
राज्य के अन्य क्षेत्र के उद्यम	18.53	1,073.27	1.73
योग	**-575.29**	**11,201.07**	

स्रोत: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की नवीनतम वित्तीय विवरणी।

[8] शुद्ध लाभ/टर्नओवर*100

[9] राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के तीन निष्क्रिय उद्यमों का टर्नओवर व निवल लाभ शामिल है।

5.5.2 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा लाभांश भुगतान

तेरहवें वित्त आयोग ने सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उद्यमों द्वारा सरकारी इक्विटी पर न्यूनतम पांच प्रतिशत लाभांश अदायगी की अनुशंसा की थी (दिसंबर 2009)। राज्य सरकार ने अनुशंसा को स्वीकार करते हुए उसके सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (कल्याण व उपयोगिता क्षेत्र को छोड़कर) को निर्देश दिया (जुलाई 2011) कि यदि कर चुकाने के बाद 50 प्रतिशत तक का लाभ हुआ हो तो वे राज्य सरकार द्वारा निवेशित निधियों पर न्यूनतम 5 प्रतिशत प्रतिफल का भुगतान करेंगे। विगत तीन वर्षों में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा घोषित किया गया लाभांश नीचे **तालिका 5.5** में दर्शाया गया है।

तालिका 5.5: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा घोषित किया गया लाभांश

(₹ करोड़ में)

वर्ष	विवरण	लाभांश घोषित करने वाले राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संख्या	प्रदत्त पूंजी	निवल लाभ	घोषित लाभ
2020-21	राज्य के विद्युत क्षेत्र के उद्यम	-	-	-	-
	राज्य के सेवा क्षेत्र के उद्यम	1	3.51	1.18	0.35
	राज्य के अन्य क्षेत्र के उद्यम	2	37.98	14.75	1.90
	योग	**3**	**41.49**	**15.93**	**2.25**
2021-22	राज्य के विद्युत क्षेत्र के उद्यम	-	-	-	-
	राज्य के सेवा क्षेत्र के उद्यम	1	3.51	1.18	0.35
	राज्य के अन्य क्षेत्र के उद्यम	1	7.16	3.36	0.36
	योग	**2**	**10.67**	**4.54**	**0.71**
2022-23	राज्य के विद्युत क्षेत्र के उद्यम	-	-	-	-
	राज्य के सेवा क्षेत्र के उद्यम	-	-	-	-
	राज्य के अन्य क्षेत्र के उद्यम	1	7.16	3.44	0.36
	योग	**1**	**7.16**	**3.44**	**0.36**

स्रोत: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की नवीनतम वित्तीय विवरणी।

वर्ष 2022-23 के दौरान के नवीनतम अंतिमिकृत लेखाओं के अनुसार लाभ अर्जित करने वाले राज्य के 13 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में से मात्र एक उद्यम (हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम सीमित) ने लाभांश घोषित किया, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के चार उद्यमों[10] से लाभांश घोषित करना अपेक्षित नहीं था (कल्याण व उपयोगिता क्षेत्र में होने के कारण) जबकि ₹ 14.88 करोड़ का समग्र लाभ अर्जित करने वाले राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के आठ उद्यमों[11] ने लाभांश घोषित/भुगतान नहीं किया।

---

[10] (i) हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, (ii) हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम (iii) हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम और (iv) हिमाचल कंसल्टेंसी ऑर्गनाइजेशन लिमिटेड।

[11] (i) हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, (ii) हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, (iii) हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, (iv) हिमाचल प्रदेश हस्तशिल्प और हथकरघा निगम लिमिटेड (v) हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड, (vi) हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, (vii) हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड व (viii) हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड।

5.6 ऋण अदायगी

5.6.1 ब्याज कवरेज अनुपात

ब्याज कवरेज अनुपात का उपयोग कंपनी की बकाया ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता को निर्धारित करने के लिए किया जाता है तथा इसकी गणना ब्याज एवं कर चुकाने से पूर्व कम्पनी के उपार्जित लाभ को उसी अवधि के ब्याज के खर्चो से विभाजित करके की जाती है। यह अनुपात जितना कम होगा, कंपनी की ऋण पर ब्याज चुकाने की क्षमता उतनी ही कम होगी। एक से कम ब्याज कवरेज अनुपात इंगित करता है कि कंपनी ब्याज पर अपने खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर रही। ब्याज वहन करने वाले राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के ब्याज कवरेज अनुपात का विवरण **तालिका 5.6** में दिया गया है।

तालिका 5.6: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का ब्याज कवरेज अनुपात

वर्ष	विवरण	ब्याज (₹ करोड़ में)	ब्याज व कर से पूर्व उपार्जन) (₹ करोड़ में)	ऋण देयता वाले राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संख्या	एक से अधिक ब्याज कवरेज अनुपात वाली कंपनियों की संख्या	एक से कम ब्याज कवरेज अनुपात वाली कंपनियों की संख्या
2020-21	राज्य के विद्युत क्षेत्र के उद्यम	617.06	270.45	3	0	3
	राज्य के सेवा क्षेत्र के उद्यम	16.44	-118.88	2	1	1
	राज्य के अन्य क्षेत्र के उद्यम	13.14	13.08	6	3	3
	योग	**646.64**	**164.65**	**11**	**4**	**7**
2021-22	राज्य के विद्युत क्षेत्र के उद्यम	717.54	271.92	3	0	3
	राज्य के सेवा क्षेत्र के उद्यम	9.70	-29.62	2	0	2
	राज्य के अन्य क्षेत्र के उद्यम	12.58	28.98	6	2	4
	योग	**739.82**	**271.28**	**11**	**2**	**9**
2022-23	राज्य के विद्युत क्षेत्र के उद्यम	792.22	330.70	3	0	3[12]
	राज्य के सेवा क्षेत्र के उद्यम	6.33	-124.89	4	2	2[13]
	राज्य के अन्य क्षेत्र के उद्यम	12.31	26.76	7	5	2[14]
	योग	**810.86**	**232.57**	**14**	**7**	**7**

स्रोत: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की नवीनतम वित्तीय विवरणी।

12 (i) हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड; (ii) हिमाचल प्रदेश विद्युत कॉर्पोरेशन लिमिटेड; व (iii) हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड

13 (i) हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम; व (ii) हिमाचल पथ परिवहन निगम

14 (i) हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम; व (ii) हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम

5.6.2 राज्य सरकार के ऋणों पर विद्युत क्षेत्र की कम्पनियों पर बकाया ब्याज का आयु-वार विश्लेषण

30 सितंबर 2023 तक नवीनतम अंतिमिकृत लेखाओं के अनुसार राज्य के विद्युत क्षेत्र के तीन उद्यमों (ब्यास वैली पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को छोड़कर जो हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कंपनी है) के संबंध में राज्य सरकार द्वारा दिए गए दीर्घकालिक ऋणों पर ₹ 3,268.81 करोड़[15] की ब्याज देयता अर्जित थी। राज्य सरकार के ऋणों पर अर्जित ब्याज का आयु-वार विश्लेषण **तालिका 5.7** में दिया गया है।

तालिका 5.7: राज्य सरकार के ऋण पर बकाया ब्याज

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य के विद्युत क्षेत्र के उद्यमों का नाम	राज्य सरकार के ऋणों पर बकाया ब्याज	राज्य सरकार के ऋणों पर एक वर्ष से कम समय से बकाया ब्याज	राज्य सरकार के ऋणों पर एक वर्ष से अधिक समय से बकाया ब्याज
1	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	430.56	227.78	202.78
2	हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2,203.26	242.96	1,960.30
3	हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	634.99	22.79	612.20
योग		**3,268.81**	**493.53**	**2,775.28**

स्रोत: राज्य के विद्युत क्षेत्र के उद्यमों के नवीनतम अंतिमिकृत लेखाओं एवं राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार।

5.7 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का वित्तीय प्रदर्शन

5.7.1 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में नियोजित पूंजी पर प्रतिफल

नियोजित पूंजी पर प्रतिफल वह अनुपात है जो किसी कंपनी की लाभप्रदता और उसकी पूंजी उपयोग की दक्षता को मापता है। नियोजित पूंजी पर प्रतिफल की गणना ब्याज व कर के पूर्व कंपनी की अर्जित आय को नियोजित पूंजी[16] से विभाजित करके की जाती है। वर्ष 2020-21

[15] राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के एकत्रित जानकारी के अनुसार। अन्य क्षेत्रों में कार्यशील राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर ब्याज देयता विद्युत क्षेत्र की कम्पनियों की तुलना में नगण्य थी, अतः उनका विश्लेषण नहीं किया गया।

[16] नियोजित पूंजी = प्रदत्त शेयर पूंजी + मुक्त आरक्षित निधि व अधिशेष + दीर्घकालिक ऋण - संचित हानि - आस्थगित राजस्व व्यय।

से 2022-23 की अवधि के दौरान नियोजित पूंजी पर प्रतिफल का विवरण **तालिका 5.8** में दिया गया है।

तालिका 5.8: नियोजित पूंजी पर प्रतिफल

वर्ष	विवरण	ब्याज व कर से पूर्व उपार्जन (₹ करोड़ में)	नियोजित पूंजी (₹ करोड़ में)	नियोजित पूंजी पर प्रतिफल (प्रतिशत में)
2020-21	राज्य के विद्युत क्षेत्र के उद्यम	270.45	11,791.00	2.29
	राज्य के सेवा क्षेत्र के उद्यम	-104.61	-543.76	0
	राज्य के अन्य क्षेत्र के उद्यम	13.03	203.26	6.40
	योग	**178.87**	**11,450.50**	**1.56**
2021-22	राज्य के विद्युत क्षेत्र के उद्यम	271.92	12,941.45	2.10
	राज्य के सेवा क्षेत्र के उद्यम	-15.35	-561.40	0
	राज्य के अन्य क्षेत्र के उद्यम	28.93	218.15	13.26
	योग	**285.50**	**12,598.20**	**2.27**
2022-23	राज्य के विद्युत क्षेत्र के उद्यम	330.70	11,057.96	2.99
	राज्य के सेवा क्षेत्र के उद्यम	-110.62	-574.42	0
	राज्य के अन्य क्षेत्र के उद्यम	26.71	224.80	11.88
	योग	**246.79**	**10,708.34**	**2.30**

स्रोत: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की नवीनतम वित्तीय विवरणी।

वर्ष 2020-21 से 2022-23 के दौरान नियोजित पूंजी पर प्रतिफल धनात्मक पाया गया। वर्ष 2021-22 की तुलना में 2022-23 में नियोजित पूंजी पर सकल प्रतिफल में वृद्धि विद्युत क्षेत्र में नियोजित पूंजी में गिरावट के कारण हुई। सकल सेवा क्षेत्र का ब्याज व कर से पूर्व उपार्जन ऋणात्मक ही रहा, जिसमें हिमाचल पथ परिवहन को हुई हानि ने महत्वपूर्ण योगदान था।

5.7.2 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा इक्विटी पर प्रतिफल

इक्विटी पर प्रतिफल[17] वित्तीय प्रदर्शन का एक माप है जो यह आकलन करता है कि लाभ अर्जित करने के लिए कंपनी की परिसंपत्तियों का कितने प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा रहा है। इक्विटी पर प्रतिफल की गणना शेयरधारकों की निधि से निवल आय (अर्थात कर पश्चात् निवल लाभ) को विभाजित करके की जाती है। इसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है एवं इसकी गणना हर उस कंपनी के लिए की जा सकती है जिसकी निवल आय एवं शेयरधारक निधि दोनों धनात्मक संख्या में हो।

[17] इक्विटी पर प्रतिफल=(कर के बाद निवल लाभ/शेयरधारक की इक्विटी)X100 जहां शेयरधारक की इक्विटी = प्रदत्त पूंजी + मुक्त आरक्षित निधि - संचित घाटा - आस्थगित राजस्व व्यय।

शेयरधारकों की निधि की गणना प्रदत्त पूंजी व मुक्त आरक्षित निधियों को जोड़ कर, संचित हानियों एवं आस्थगित राजस्व व्यय से घटाकर की जाती है तथा यह उजागर करती है कि यदि सभी परिसंपत्तिया बेच दी जाए एवं सभी ऋण चुका दिए जाए तब कंपनी के शेयरधारकों हेतु कितनी राशि बचेगी। धनात्मक शेयरधारक निधि यह प्रकट करती है कि कंपनी अपनी देयताएं पूरी करने के लिए पर्याप्त परिसंपत्तियां रखती है जबकि ऋणात्मक शेयरधारक इक्विटी से तात्पर्य है कि देयताएं परिसंपत्तियों से अधिक हैं।

वर्ष 2022-23 में लाभ अर्जित करने वाले राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के 13 कार्यशील उद्यमों का इक्विटी पर प्रतिफल 14.32 प्रतिशत था। वर्ष 2022-23 की अवधि के दौरान राज्य के सभी 27 कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की निवल आय ऋणात्मक होने से इक्विटी पर प्रतिफल की गणना नहीं की जा सकी।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उद्यमों से संबंधित शेयरधारकों की निधि एवं इक्विटी पर प्रतिफल के विवरण नीचे **तालिका 5.9** में दिए गए हैं।

तालिका 5.9: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उद्यमों से संबंधित इक्विटी पर प्रतिफल

वर्ष	विवरण	निवल आय (₹ करोड़ में)	शेयरधारकों की निधि (₹ करोड़ में)	इक्विटी पर प्रतिफल (प्रतिशत)
2020-21	राज्य के विद्युत क्षेत्र के उद्यम	(-)346.61	1,466.71	-
	राज्य के सेवा क्षेत्र के उद्यम	(-)137.24	(-)629.97	-
	राज्य के अन्य क्षेत्र के उद्यम	(-)6.52	(-)17.16	-
	योग	**(-)490.37**	**819.58**	
2021-22	राज्य के विद्युत क्षेत्र के उद्यम	(-)445.62	1486.20	-
	राज्य के सेवा क्षेत्र के उद्यम	(-)40.42	(-)611.43	-
	राज्य के अन्य क्षेत्र के उद्यम	9.01	0.02	-
	योग	**(-)477.03**	**874.79**	
2022-23	राज्य के विद्युत क्षेत्र के उद्यम	(-)461.52	1124.34	-
	राज्य के सेवा क्षेत्र के उद्यम	(-)132.30	(-)602.92	-
	राज्य के अन्य क्षेत्र के उद्यम	9.09	7.22	125.95
	योग	**(-)584.73**	**528.63**	

स्रोत: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की नवीनतम वित्तीय विवरणी।

वर्ष 2020-21 से 2022-23 की अवधि के दौरान राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उद्यमों की निवल आय ऋणात्मक थी, अतः इक्विटी पर प्रतिफल की गणना नहीं की जा सकी।

5.7.3 निवेश के वर्तमान मूल्य के आधार पर प्रतिफल की दर

31 मार्च 2023 तक प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर निवेश की ऐतिहासिक लागत को उसके वर्तमान मूल्य पर लाने के लिए राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निवेशित पूर्ववर्ती निवेशों/वर्ष-वार निधियों को सरकारी उधारों पर ब्याज की

वर्ष-वार औसत दर, जिसे संबंधित वर्ष हेतु सरकार के लिए निधियों की न्यूनतम लागत के रूप में लिया जाता है, पर संयुक्त किया जाता है। अतः जहां कही भी परिचालन एवं प्रबंधन खर्च हेतु इक्विटी, ब्याज रहित ऋण एवं अनुदान/सब्सिडी के रूप में राज्य सरकार द्वारा निधियों का निवेश किया गया है वहां राज्य सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य की गणना की गई तथा इन कंपनियों के प्रारंभ होने से 31 मार्च 2023 तक हुए विनिवेशों को शामिल नहीं किया गया।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में राज्य सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य की गणना निम्नलिखित मान्यताओं के आधार पर की गई :

- ब्याज रहित ऋणों को राज्य सरकार द्वारा निवेश के रूप में माना गया है। इसके अतिरिक्त, उन मामलों में जहां राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को दिए गए ब्याज रहित ऋण को बाद में इक्विटी में परिवर्तित कर दिया गया था, इक्विटी में परिवर्तित ऋण की राशि को ब्याज रहित ऋण की राशि से घटा दिया गया है एवं उस वर्ष की इक्विटी में जोड़ा गया है।
- संबंधित वित्तीय वर्ष[18] हेतु सरकारी उधार पर ब्याज की औसत दर को वर्तमान मूल्य पर पहुंचने के लिए चक्रवृद्धि दर के रूप में अपनाया गया था क्योंकि वो वर्ष हेतु निधियों के निवेश के लिए सरकार द्वारा खर्च की गई लागत का प्रतिनिधित्व करते हैं एवं इसलिए सरकार द्वारा किए गए निवेश पर प्रतिफल की न्यूनतम अपेक्षित दर के रूप में माना जाता है।
- वर्ष के अंत में कुल निवेश की गणना करते समय विनिवेश को घटाया गया है।

वर्ष 1999-2000 से 2022-23 की अवधि के दौरान ऐतिहासिक लागत के आधार पर इक्विटी एवं ब्याज रहित ऋण के रूप में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 26 उद्यमों (सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियों के अतिरिक्त) में राज्य सरकार के निवेश की उद्यम-वार प्रास्थिति **परिशिष्ट 5.3** में दी गई है। इसी अवधि में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 26 उद्यमों से संबंधित राज्य सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य एवं कुल उपार्जन की समेकित स्थिति नीचे **तालिका 5.10** में दर्शाई गई है।

[18] चुकाए गए ब्याज की औसत दर की गणना = ब्याज भुगतान/ [(गत वर्ष की वित्तीय देयताओं की राशि + चालू वर्ष की वित्तीय देयताएं)/2] *100

तालिका 5.10: 1999-2000 से 2022-23 तक राज्य सरकार के निवेश का वर्ष-वार विवरण व सरकारी निधि का वर्तमान मूल्य

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्ष के प्रारंभ में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा निवेशित इक्विटी	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा दिए गए निवल ब्याज रहित ऋण	वर्ष के दौरान इक्विटी में परिवर्तित ब्याज रहित ऋण	प्रचालनात्मक एवं प्रशासनिक-व्यवसायिक व्यय के लिए राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले अनुदान/ सब्सिडी	राज्य सरकार द्वारा वर्ष के दौरान अंकित मूल्य पर विनिवेश	वर्ष के दौरान कुल निवेश	वर्ष के अंत में कुल निवेश	सरकारी उधार पर भारित औसत ब्याज दर (प्रतिशत में)	वर्ष के अंत में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के लिए निधियों की लागत की वसूली के लिए न्यूनतम अपेक्षित प्रतिफल	वर्ष के लिए कुल उपार्जन	निवेश पर प्रतिफल
ए	बी	सी	डी	इ	एफ	जी	एच	आई	जे	के	एल	एम	एन
							एच=सी+डी-इ+एफ-जी	आई=बी+एच		के=आई* (1+जे/100)	एल= के-आई		एन=एम/ के*100
1999-2000 तक	0.00	300.04	0.49	0.00	0.00	0.00	300.53	300.53	8.83	327.07	26.54	0.00	-
2000-01	327.07	32.48	1.51	0.00	0.00	0.00	33.99	361.06	10.15	397.70	36.65	-49.50	-
2001-02	397.70	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	13.01	410.71	11.06	456.14	45.42	-36.70	-
2002-03	456.14	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	12.43	468.57	10.37	517.16	48.59	-29.19	-
2003-04	517.16	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	28.60	545.76	10.98	605.68	59.92	-31.10	-
2004-05	605.68	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00	16.06	621.74	10.60	687.65	65.90	-43.44	-
2005-06	687.65	13.59	0.15	0.00	0.00	0.00	13.74	701.39	9.20	765.92	64.53	-30.72	-
2006-07	765.92	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	14.30	780.22	9.40	853.56	73.34	-62.08	-
2007-08	853.56	118.42	2.25	0.00	0.00	0.00	120.67	974.23	9.09	1,062.78	88.56	-46.66	-
2008-09	1,062.78	306.29	-0.10	0.00	0.00	0.00	306.19	1,368.97	9.19	1,494.78	125.81	-33.88	-
2009-10	1,494.78	405.28	0.00	0.00	0.00	0.00	405.28	1,900.06	8.59	2,063.27	163.22	-55.92	-
2010-11	2,063.27	506.89	0.00	0.00	0.00	0.00	566.89	2,630.16	7.78	2,834.78	204.63	-190.77	-
2011-12	2,834.78	124.99	9.50	0.00	0.00	645.85	-511.36	2,323.42	7.80	2,504.65	181.23	-224.68	-
2012-13	2,504.65	303.72	5.00	0.00	0.00	0.00	308.72	2,813.37	8.08	3,040.69	227.32	-404.40	-
2013-14	3,040.69	287.24	2.54	0.00	0.00	0.00	289.78	3,330.47	7.71	3,587.25	256.78	-625.17	-
2014-15	3,587.25	339.21	14.54	0.00	0.00	550.00	-196.25	3,391.00	7.91	3,643.53	268.23	-455.69	-
2015-16	3,643.53	217.30	3.55	0.00	0.00	0.00	220.85	3,864.38	8.37	4,187.83	323.45	-332.71	-
2016-17	4,187.83	250.82	6.52	0.00	0.00	0.00	257.34	4,445.17	8.13	4,806.56	361.39	-105.47	-
2017-18	4,806.56	233.67	8.00	0.00	0.00	0.00	241.67	5,048.23	8.41	5,472.79	424.56	-123.81	-
2018-19	5,472.79	313.90	10.00	0.00	0.00	0.00	323.90	5,796.69	8.32	6,296.58	482.28	-183.99	-
2019-20	6,296.58	335.91	0.00	0.00	114.89	0.00	450.80	6,747.38	7.98	7,285.82	538.44	-270.79	-
2020-21	7,285.82	263.25	0.90	0.00	236.84	0.00	500.99	7,786.81	7.59	8,377.83	591.02	-480.93	-
2021-22	8,377.83	272.12	0.00	0.00	153.33	0.00	425.45	8,803.28	7.33	9,448.56	645.28	-467.18	-
2022-23	9,448.56	305.35	-2.83	0.00	110.12	0.00	412.64	9,861.20	6.74	10,525.85	664.64	-575.29	-
		5,074.87	**62.02**	**0.00**	**615.18**	**1,195.85**	**4,556.22**						

स्रोत: कॉलम संख्या सी, डी, ई, एफ व जी के संदर्भ में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से प्राप्त सांख्यिकीय जानकारी।

वर्ष 2022-23 के अंत में राज्य सरकार द्वारा राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में किए निवेश का शेष 1999-2000 के अंत के ₹ 300.53 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2022-23 में ₹ 9,861.20 करोड़ हो गया। वर्ष 2000-01 से 2022-23 की अवधि के दौरान राज्य सरकार ने इक्विटी (₹ 5,074.87 करोड़) एवं परिचालन व प्रबंधन व्यय (₹ 615.18 करोड़) हेतु अनुदान/सब्सिडी के रूप में अतिरिक्त निवेश किया। 31 मार्च 2023 तक राज्य सरकार द्वारा दी गई निधियों का वर्तमान मूल्य ₹ 10,525.85 करोड़ था। वर्ष 2000-01 से 2022-23 के दौरान राज्य के इन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का कुल उपार्जन इनमें निवेशित निधियों की लागत वसूली हेतु अपेक्षित न्यूनतम प्रतिफल से सदैव कम रहा।

5.8 राज्य के हानि उठाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम

5.8.1 हुई हानि

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के नवीनतम अंतिमिकृत लेखाओं के अनुसार आठ कार्यशील उद्यमों को हानि हुई थीं। नवीनतम अंतिम लेखा के अनुसार राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का घाटा वर्ष 2021-22 के ₹ 518.60 करोड़ से बढ़कर ₹ 604.94 करोड़ हो गया। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के जिन उद्यमों को बड़ी हानियां हुई वे थे हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड एवं हिमाचल पथ परिवहन निगम। वर्ष 2022-23 के दौरान घाटे में चल रहे राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की प्रास्थिति नीचे **तालिका 5.11** में दी गई है।

तालिका 5.11: 2020-21 से 2022-23 में हानि उठाने वाले राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संख्या

(₹ करोड़ में)

वर्ष	विवरण	हानि उठाने वाले राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संख्या	वर्ष में हुई निवल हानि	संचित हानि	नेटवर्थ
2020-21	राज्य के विद्युत क्षेत्र के उद्यम	3	346.61	2,036.28	1,166.71
	राज्य के सेवा क्षेत्र के उद्यम	1	146.43	1,533.70	(-)674.83
	राज्य के अन्य क्षेत्र के उद्यम	6	25.56	383.72	(-)224.36
	कुल	**10**	**518.60**	**3,953.70**	**267.52**
2021-22	राज्य के विद्युत क्षेत्र के उद्यम	3	445.62	2,296.57	1,186.20
	राज्य के सेवा क्षेत्र के उद्यम	3	42.69	1,598.47	(-)662.52
	राज्य के अन्य क्षेत्र के उद्यम	6	10.24	356.73	(-)169.56
	कुल	**12**	**498.55**	**4,251.77**	**354.12**
2022-23	राज्य के विद्युत क्षेत्र के उद्यम	3	461.52	2,757.59	824.34
	राज्य के सेवा क्षेत्र के उद्यम	3	135.97	1,734.42	(-)658.00
	राज्य के अन्य क्षेत्र के उद्यम	2	7.45	186.69	(-)75.78
	कुल	**8**	**604.94**	**4,678.70**	**90.56**

स्रोत: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार।

5.8.2 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के नेटवर्थ का क्षरण

31 मार्च 2023 तक राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 14 उद्यमों में ₹ 4,985.18 करोड़ की संचित हानि पाई गई **(परिशिष्ट 5.4)**। 30 सितम्बर 2023 तक के नवीनतम अंतिमिकृत लेखाओं के अनुसार इनमें से राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 10 उद्यमों में ₹ 604.99 करोड़ की हानि हुई।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के इन 14 उद्यमों में नौ उद्यमों का नेटवर्थ संचित हानियों के कारण पूरी तरह समाप्त हो गया एवं उनका नेटवर्थ ऋणात्मक था। 31 मार्च 2023 तक राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के नौ उद्यमों के किए गए ₹ 2,085.59 करोड़ के इक्विटी निवेश के प्रति उनका नेटवर्थ (-) ₹ 1,932.38 करोड़ था। वर्ष 2022-23 के दौरान पूंजी का क्षरण हो चुके राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के नौ उद्यमों में से तीन उद्यमों ने उनकी नवीनतम वित्तीय विवरणियों के अनुसार ₹4.88 करोड़ का लाभ अर्जित किया। 31 मार्च 2023 तक नौ में से राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के तीन उद्यमों (एक निष्क्रिय सहित) पर ₹ 3,132.34 करोड़ का सरकारी ऋण बकाया था, जैसाकि **तालिका 5.12** में विवर्णित है।

तालिका 5.12: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उन उद्यमों का विवरण जिनके नवीनतम अंतिम रूप दिए लेखाओं के अनुसार उनका नेटवर्थ समाप्त हो गया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	कंपनी का नाम	नवीनतम लेखा वर्ष	कुल प्रदत्त पूंजी	ब्याज, कर और लाभांश के बाद निवल लाभ/हानि	संचित हानि (-)	नेटवर्थ	नेटवर्थ ऋणात्मक बनाने की अवधि	31 मार्च 2023 तक राज्य सरकार की इक्विटी	31 मार्च 2023 तक राज्य सरकार के ऋण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटे	2021-22	832.23	-103.69	-1,809.61	-977.38	2010-11	882.23	3,012.10
2.	हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन व प्रसंस्करण निगम सीमित	2021-22	38.77	2.89	-83.87	-45.1	1983-84	31.2	60.09
3.	हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम सीमित	2018-19	11.71	0.98	-113.04	-101.33	2002-03	11.71	0
4.	हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम	2021-22	99.57	-7.16	-180.97	-81.40	1996-97	106.59	0
5.	हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प व हथकरघा निगम सीमित	2020-21	9.25	1.01	-12.42	-3.17	1989-90	9.22	0
6.	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम	2017-18	12.3	-2.76	-27.27	-14.97	अनुपलब्ध	14.3	0
7.	हिमाचल पथ परिवहन निगम	2021-22	1,063.12	-133.18	-1,707.12	-644.00	1999-2000	1,227.68	0

क्र. सं.	कंपनी का नाम	नवीनतम लेखा वर्ष	कुल प्रदत्त पूंजी	ब्याज, कर और लाभांश के बाद निवल लाभ/हानि	संचित हानि (-)	नेटवर्थ	नेटवर्थ ऋणात्मक बनाने की अवधि	31 मार्च 2023 तक राज्य सरकार की इक्विटी	31 मार्च 2023 तक राज्य सरकार के ऋण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	एग्रो इंडस्ट्रियल पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड	2013-14	17.72	-0.04	-78.23	-60.51	निष्क्रिय	16.75	60.15
9.	हिमाचल वर्स्टेड मिल्स लिमिटेड	2000-01	0.92	-0.01	-5.44	-4.52	परिसमापनाधीन	0	0
सकल योग			**2,085.59**	**-241.96**	**-4,017.97**	**-1,932.38**		**2,299.68**	**3,132.34**

* *कॉलम 9 व 10 में दिए गए आंकड़े अलेखापरीक्षित आंकड़े हैं।*

5.9 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की लेखापरीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) एवं (7) के तहत सरकारी कंपनी एवं सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को अनुपूरक लेखापरीक्षा संचालित करने एवं सांविधिक लेखापरीक्षकों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुपूरक लेखापरीक्षा या टिप्पणियां जारी करने का अधिकार है। कुछ निगमों को शासित करने की विधियों में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा उनके लेखाओं का लेखांकन किया जाना तथा विधायिका में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित होता हैं।

5.10 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण

5.10.1 समयबद्ध प्रस्तुतीकरण की आवश्यकता

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 के अनुसार सरकारी कंपनी के कार्यों एवं मामलों पर वार्षिक प्रतिवेदन उसकी आम वार्षिक बैठक होने के तीन माह के भीतर तैयार की जाए तथा तैयार होने के पश्चात यथाशीघ्र लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की गई कोई टिप्पणी अथवा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुपूरक की प्रति के साथ विधायिका के समक्ष प्रस्तुत की जाएं। लगभग इसी प्रकार के प्रावधान सांविधिक निगमों के विनियमन वाले संबंधित अधिनियमों में दिए गए हैं। यह तंत्र राज्य की समेकित निधि से इन कंपनियों में निवेश किए गए सार्वजनिक धन के उपयोग पर आवश्यक विधायिका नियंत्रण प्रदान करता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 में प्रत्येक कंपनी से प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार शेयरधारकों की आम वार्षिक बैठक आयोजित करना अपेक्षित है। यह भी कहा गया है कि एक आम वार्षिक बैठक से अगली के मध्य 15 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 में निर्धारित है कि वित्तीय वर्ष की उक्त आम वार्षिक बैठक में विचार करने के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणी प्रस्तुत की जाए।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (7), कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के प्रावधानों का अनुपालन न करने वाले लोगों, जिसमें कंपनी के निदेशक भी शामिल है, पर अर्थदंड अथवा कारावास जैसी शास्ति लगाने का प्रावधान भी करती है।

30 सितम्बर 2023 तक राज्य के विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वार्षिक लेखे लंबित थे, जैसाकि अनुवर्ती परिच्छेदों में विवर्णित है।

5.10.2 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा लेखे तैयार करने में समयबद्धता

31 मार्च 2023 तक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा परिधि में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 27 उद्यम[19] थे। 30 सितंबर 2023 तक राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के किसी भी उद्यम ने नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 के उसके लेखे प्रस्तुत नहीं किए। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के इन 27 उद्यमों के 73 लेखे बकाया थे जैसाकि **परिशिष्ट 5.5** में विवर्णित है। इनमें राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उन छ: उद्यमों[20] के 22 लेखे शामिल थे, जिनके नेटवर्थ का क्षरण हो गया। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के जिन उद्यमों के लेखे प्रस्तुतिकरण हेतु बकाया थे, उनका विवरण **तालिका 5.13** में दिया गया है:

तालिका 5.13: लेखे प्रस्तुत करने में बकाया के विवरण

विवरण		राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम	लेखाओं की संख्या
31 मार्च 2023 तक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा परिधि में आने वाली कंपनियों की कुल संख्या		27	
2022-23 के लिए बकाया लेखाओं वाली कंपनियों की संख्या		27	27
30 सितंबर 2023 तक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा हेतु वर्ष 2022-23 के लेखे प्रस्तुत करने वाली कंपनियों की संख्या		0	0
बकाया लेखाओं की संख्या		**27**	**73**
बकाया का विवरण	(i) परिसमापनाधीन	1	0
	(ii) निष्क्रिय	2	15
	(iii) अन्य	25	58
अन्य श्रेणी के प्रति बकाया का आयु-वार विश्लेषण	एक वर्ष (2022-23)	11	11
	दो वर्ष (2021-22 व 2022-23)	4	8
	तीन वर्ष व अधिक	10	39

स्रोत: प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में प्राप्त वार्षिक लेखों के आधार पर संकलित।

19 परिच्छेद 5.10.3 में चर्च किए गए दो सांविधिक निगमों व परिसमापनाधीन एक कंपनी को छोड़कर।

20 1. हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (1 वर्ष); 2. हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड (1 वर्ष); 3. हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (4 वर्ष); 4. हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प व हथकरघा निगम लिमिटेड (2 वर्ष); 5. हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (5 वर्ष); और 6. एग्रो इंडस्ट्रियल पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड (9 वर्ष)।

30 सितम्बर 2023 तक बकाया लेखाओं की संख्या एवं कंपनियों के नाम **परिशिष्ट 5.5** में दर्शाए गए हैं।

5.10.3 सांविधिक निगमों द्वारा लेखाओं को तैयार करने में समयबद्धता

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने दो[21] सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा की, जिनमें से एक[22] संविधिक निगम के लिए नियंत्रक-महालेखापरीक्षक एकमात्र लेखापरीक्षक है। 30 सितंबर 2023 से पूर्व दोनों में से किसी भी सांविधिक निगम ने वर्ष 2022-23 के उसके लेखे लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए। 30 सितंबर 2023 तक दोनों सांविधिक निगमों के दो लेखे लंबित थे।

5.11 नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का निरीक्षण- लेखाओं की लेखापरीक्षा एवं अनुपूरक लेखापरीक्षा

5.11.1 वित्तीय रिपोर्टिंग रूपरेखा

कंपनियों को लेखांकन मानकों पर राष्ट्रीय परामर्श समिति के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अनिवार्य लेखांकन मानकों के अनुपालन में कंपनी अधिनियम की अनुसूची III में निर्धारित प्रारूप में वित्तीय विवरणी बनाना अपेक्षित है। सांविधिक निगमों से नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श पर बनाए गए नियमों के तहत निर्धारित प्रारूप में तथा ऐसे निगमों को शासित करने वाले अधिनियम में लेखाओं से संबंधित अन्य किसी विशिष्ट प्रावधान में उनके लेखे तैयार करना अपेक्षित है।

5.11.2 सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सरकारी कंपनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के तहत नियुक्त किए गए सांविधिक लेखापरीक्षक सरकारी कंपनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा करते हैं तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अनुक्रम में उन पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं।

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक इस समग्र उद्देश्य के साथ, कि सांविधिक लेखापरीक्षक उन्हें सौंपे गए कार्यों का निर्वहन उचित एवं प्रभावी रूप से कर रहे हैं, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की लेखापरीक्षा में सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रदर्शन की निगरानी करके निरीक्षक की भूमिका निभाते हैं। इस कार्य का निर्वहन निम्न शक्तियों के अंतर्गत किया जाता है:

---

[21] हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम व हिमाचल पथ परिवहन निगम।

[22] हिमाचल पथ परिवहन निगम।

- सांविधिक लेखापरीक्षकों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत निर्देश जारी करके; एवं
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के तहत सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन पर अनुपूरक या टिप्पणी जारी करके।

5.11.3 सरकारी कंपनियों के लेखाओं की अनुपूरक लेखापरीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 या अन्य संगत अधिनियम के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग रूपरेखा के अनुसार वित्तीय विवरणी तैयार करने की मुख्य जिम्मेदारी किसी इकाई के प्रबंधन की होती है।

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के तहत नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के मानक लेखांकन का प्रयोग करते हुए तथा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा दिए गए उपनिर्देशों के अनुरूप स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणियों पर मत व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। सांविधिक लेखापरीक्षकों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के तहत नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक सांविधिक लेखाकारों के प्रतिवेदन सहित चयनित सरकारी कंपनियों के प्रमाणित लेखाओं की अनुपूरक लेखापरीक्षा द्वारा समीक्षा करता है। इस तरह की समीक्षा के आधार पर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के तहत यदि कोई महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणी हो, तो उसे वार्षिक आम बैठक के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

5.12 नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की निरीक्षक की भूमिका के परिणाम

5.12.1 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लेखाओं की लेखापरीक्षा

1 अक्टूबर 2022 से 30 सितंबर 2023 तक 17 कंपनियों से वर्ष 2021-22 एवं विगत वर्षों की बाईस वित्तीय विवरणियां प्राप्त हुई। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने 16 कंपनियों की इक्किस वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा में समीक्षा की (**परिशिष्ट 5.6)** एवं राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के एक उद्यम (हिमाचल प्रदेश जनरल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड) के एक लेखे को वर्ष 2021-22 हेतु गैर-समीक्षा प्रमाण पत्र जारी किया गया। समीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों के विवरण नीचे दिए गए हैं:

तालिका 5.14: वित्तीय विवरणियों पर जारी महत्वपूर्ण टिप्पणी

क्र.सं.	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का नाम	टिप्पणी
लाभप्रदता पर टिप्पणी		
1.	हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड (2021-22)	कर्मचारी लाभ व्यय में ₹ 161.28 लाख की न्यूनोक्ति हुई (जनवरी 2016 से मार्च 2022 की अवधि के लिए वेतन संशोधन बकाया का अनुमानित व्यय), जो ₹ 161.28 लाख के लाभ की अन्योक्ति में परिणत हुई।
2.	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (2021-22)	1 जनवरी 2022 से 31 मार्च 2022 की अवधि हेतु छठे वेतन आयोग के संशोधन के बकाया का प्रावधान न करने के कारण वर्तमान देयता में ₹ 90.75 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई। इसके परिणामस्वरूप कर्मचारी लाभ व्यय एवं 'वर्ष की हानि' के साथ-साथ 'वर्तमान देयताएं-प्रावधान' में ₹ 90.75 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई।
वित्तीय स्थिति पर टिप्पणी		
3.	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (2021-22))	"वर्तमान देयता-प्रावधानों" में अन्योक्ति हुई एवं "अन्य वर्तमान देयताएं" में ₹ 24.59 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई क्योंकि वे अनुमानित राशि न हो कर निश्चित देयताएं थीं जो कि आईएनडी एएस-37 के परिच्छेद 10 के मार्गदर्शन का उल्लंघन था।
		राज्य जलविद्युत नीति 2006 के अनुसार 5 मेगावाट से अधिक की परियोजना की अंतिम लागत का 1.5 प्रतिशत स्थानीय क्षेत्र विकास निधि में दिया जाएं। ब्यास वैली पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड की ऊहल चरण-III जल विद्युत परियोजना का कुल व्यय ₹ 2276.50 करोड़ (31 मार्च 2022 तक) था एवं तदनुसार स्थानीय क्षेत्र विकास निधि हेतु आनुपातिक योगदान ₹ 34.15 करोड़ होना चाहिए। हालांकि 31 मार्च 2022 तक ब्यास वैली पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने ₹ 16.69 करोड़ व्यय किए एवं स्थानीय क्षेत्र विकास निधि हेतु ₹ 15.93 करोड़ का प्रावधान रखा, जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान देयताओं व प्रक्रियाधीन पूंजीगत कार्य में ₹ 1.53 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई।
		संपत्ति संयंत्र व उपकरण में ₹ 12.05 करोड़ शामिल नहीं किए गए, जो नाहन, पांवटा साहिब, राजगढ़, कांगड़ा, नगरोटा बगवां, करसोग व हमीरपुर के विद्युत प्रभाग में विभिन्न उपभोक्ताओं द्वारा स्वयं निष्पादित कार्यों का मूल्य है, जो उस विशेष उपभोक्ता को कनेक्शन जारी करने के समय कंपनी की संपत्ति बन जाते। इस प्रकार संपत्ति संयंत्र व उपकरण के साथ-साथ अन्य गैर-वर्तमान देयता - पूंजी की लागत के प्रति उपभोक्ता अंशदान में ₹ 12.05 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई।

स्रोत: नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा अंतिम रूप दी गई एवं जारी की गई टिप्पणियां।

5.12.2 वित्तीय विवरणियों में संशोधन

वर्ष 2022-23 के दौरान नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों के आधार पर सरकारी कंपनियों या सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियों द्वारा उनकी वित्तीय विवरणियों के संशोधन का कोई मामला नहीं पाया गया।

5.12.3 लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन का पुनरीक्षण

वर्ष 2022-23 के दौरान नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा वित्तीय विवरणियों की अनुपूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप सांविधिक लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के पुनरीक्षण का कोई मामला नहीं पाया गया।

5.13 निष्कर्ष

31 मार्च 2023 तक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा परिधि में दो सांविधिक निगमों सहित राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 30 उद्यम थे। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के इन 30 उद्यमों में से तीन निष्क्रिय थे।

वर्ष 2021-22 एवं विगत वर्षों हेतु 17 कंपनियों से 22 वित्तीय विवरणियां प्राप्त हुई। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने लेखापरीक्षा में 16 कंपनियों की 21 वित्तीय विवरणियों की समीक्षा की।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 13 उद्यमों ने उनकी वित्तीय विवरणियों के अनुसार ₹ 20.21 करोड़ का लाभ अर्जित किया। यह वर्ष 2021-22 में ₹ 21.47 करोड़ का लाभ दर्ज करने वाले राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 10 उद्यमों की तुलना में था। लाभ अर्जित करने वाले राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 13 उद्यमों में से केवल एक उद्यम ने लाभांश घोषित किया। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के चार उद्यमों ने लाभांश घोषित करने के लिए अपेक्षित लाभ अर्जित नहीं किया, जबकि ₹ 14.88 करोड़ का समग्र लाभ अर्जित करने वाले राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के शेष आठ उद्यमों ने लाभांश घोषित/भुगतान नहीं किया।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने उनकी वित्तीय विवरणी प्रस्तुत करने की निर्धारित समय-सीमा का पालन नहीं किया। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 27 उद्यमों के 73 लेखे बकाया थे।

5.14 सिफारिशें

राज्य सरकार :

1. ***राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के प्रबंधन पर उनकी बकाया वित्तीय विवरणियों को शीघ्र अंतिम रूप देने का दबाव बनाएं एवं उनका समयबद्ध प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करें, ताकि वे राज्य विधायिका की निगरानी में रहें; तथा***
2. ***राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के जिन उद्यमों के नेटवर्थ का क्षरण हो गया है उनकी हानि के कारणों का विश्लेषण करें एवं उनके परिचालन को कुशल व लाभप्रद बनाने के लिए कदम उठाएं।***

(सुशील ठाकुर)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
हिमाचल प्रदेश

शिमला
दिनांक: 29 अक्टूबर 2024

प्रतिहस्ताक्षरित

(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक: 06 नवंबर 2024